प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.02.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.02.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. अमित बंसल 2. प्रवेश कुमार द्वारा धोखाधड़ी करके वादी के प्लॉट के फर्जी कागजात तैयार करके प्लॉट पर कब्जा कर लेना, वादी के साथ गाली गलौच करना व मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा- 318(4)/338/336(3)/340(2)/329(3)/352/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 25.02.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रवेश कुमार शर्मा पुत्र गंगाशरण शर्मा निवासी रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 47 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथी अमित बंसल के साथ मिलकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करके वादी के खुदाबक्श रामपार्क में स्थित प्लॉट पर कब्जा कर लिया था। जब भी वादी हमारे पास अपने प्लॉट से कब्जा हटाने के लिए कहता था तो मेरे द्वारा उसके साथ गाली गलौच की जाती थी तथा धमकी दी जाती थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

प्रवेश कुमार शर्मा पुत्र गंगाशरण शर्मा निवासी रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 47 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.02.2026 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष का घर से बिना बताये कहीं चले जाना व वापस न आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 137 (2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया

तथा पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त समीर पुत्र महमूद का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 25.02.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त समीर पुत्र महमूद निवासी वर्धमानपुरम शिव चौक लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि पीडिता से मेरी फोन पर बातचीत थी। मैं वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा मौका पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

समीर पुत्र महमूद निवासी वर्धमानपुरम शिव चौक लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ठगी की गयी सोने की चैन बरामद।

दिनांक 24.02.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद पर वादी श्री हेमदत्त भारद्वाज निवासी इन्दर कालोनी कृष्णानगर बागू गाजियाबाद द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 13.02.26 को उनकी माता को बातो मे लगाकर धोखे से उनकी गली की सोने की चैन पर्स मे रखवा कर उनका पर्स लेकर चले गये। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 303(2)/318(4) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरो को चैक किया गया तथा मैनुअल इन्पुट्स के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण किया गया।

दिनांक 25.02.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त (1) बेताब पुत्र आसिफ अली निवासी झुग्गी नंबर 13 झुग्गी झोपड़ी भलस्वा डेरी कलंदर कालोनी जहांगीरपुरी दिल्ली हाल पता चांदमारी झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 11 प्रताप विहार विजयनगर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष (2) आमिर हसन उर्फ अजीर खान पुत्र वाहिद हसन निवासी चांदमारी झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 11 प्रताप विहार विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को सेवियर सोसाइटी के सामने पंचशील पार्क के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित 01 सोने की चैन व 01 कागज की गड्डी जिस पर एक 500 रुपये का नोट लगा है बरामद हुई, बरामदगी के सम्बन्ध मे धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि करते हुए अभियुक्तो के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तो से पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोग घुम फिर कर अकेली बुजुर्ग महिला को टारगेट करते है तथा उनसे रास्ता पूछने के बहाने से बात करते है और उनसे उनकी घर की परेशानी बताकर तथा परेशानी का समाधान बताकर, नकली नोट की गड्डी का लालच देकर उनसे उनके गहने व पर्स ले लेते है और फिर वहां से फरार हो जाते है।

अभियुक्त का नाम व पता

(1) बेताब पुत्र आसिफ अली निवासी झुग्गी नंबर 13 झुग्गी झोपड़ी भलस्वा डेरी कलंदर कालोनी जहांगीरपुरी दिल्ली हाल पता चांदमारी झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 11 प्रताप विहार विजयनगर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष।

(2) आमिर हसन उर्फ अजीर खान पुत्र वाहिद हसन निवासी चांदमारी झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 11 प्रताप विहार विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्तो के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे 01 अभियोग पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

01 सोने की चैन व 01 कागज की गड्डी जिस पर एक 500 रुपये का नोट लगा है

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री मुकेश सोंलकी तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना मुरादनगर द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री संजीव कुमार द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना मुरादनगर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 302 भादवि व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त रिंकूपाल पुत्र नरेशपाल निवासी शोभापुर थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 26.02.2026 को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का कठिन कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी के साले की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 25.01.2023 को थाना मुरादनगर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री संजीव कुमार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**म0मु0आ0 प्रवेशपाल** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 सुशील कुमार** पैरोकार थाना मुरादनगर

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा ।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री लक्षेन्द्र सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी थाना मुरादनगर द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कौशिक द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना मुरादनगर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 302 भादवि व धारा 27 आयुध अधि0 में अभियुक्त शिव विजय पुत्र जयकरण निवासी ग्राम कठोगर, बिधनू कानपुर को, मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-12 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 26.02.2026 को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 27 आयुध अधि0 में 03 वर्ष का कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा मृतक की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 22.04.2018 को वादी द्वारा थाना मुरादनगर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री सुनील कौशिक सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**म0मु0आ0 ऊषा** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**आरक्षी अरुण कुमार** पैरोकार थाना मुरादनगर

साइबर सेल थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 156,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 18.12.2025 को साइबर सेल थाना खोडा, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम को वादी श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री बुद्धा सिंह नि0 वन्दना एन्क्लेव थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद को एसबीआई योनो एप एक्टिवेट किये जाने के सम्बन्ध में फेक कस्टमर केयर नंबर से काल कर, हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 3,86,504/- रुपये के सम्बंध में शिकायत प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना खोड़ा पर धारा 66 डी आई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण:-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना खोडा, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम को वादी श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री बुद्धा सिंह नि0 वन्दना एन्क्लेव थाना खोडा, कमिश्नरेट गाजियाबाद को एसबीआई योनो एप एक्टिवेट किये जाने के सम्बन्ध में फेक कस्टमर केयर नंबर से काल कर कुल धनराशि 386504/- रुपये धोखाधडी से ट्रांसफर कराने के सम्बंध में थाना खोड़ा पर दिनांक 18/12/2025 को धारा 66 डी आई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में साइबर सेल थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को सम्बन्धित बैंको के साथ पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 25.02.2026 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की कुल 3,86,504/- रुपये से 1,56000 /- रुपये की धनराशि वादी को वापस करवाई गई।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

साइबर सेल थाना खोडा, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 79 पुडिया अवैध स्मैक कुल वजन 6.32 ग्राम एवं 1200 रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 25.02.2026 को थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त 1. फरजान उर्फ नाटा पुत्र इमरान निवासी डी 161 निशारिया मस्जिद के पास नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष 2. मोहित पुत्र मोहनलाल निवासी गुर्जर चौक भौपुरा डिफैन्स कालोनी सत्ते भाई वाली गली थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को 6.32 ग्राम अवैध स्मैक व 1200 रुपयों के साथ पप्पू कालोनी कब्रिस्तान के पास थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों स्मैक की पुडिया को आसपास के क्षेत्र मे घूमकर नशा करने वाले लोगो को 250 से 300 रुपये प्रति पूडिया के हिसाब से बेचते है और स्मैक बेचकर जो रूपये मिलते है उनको आपस में आधा आधा बाँट लेते है , जिनसे हम अपने शौक मौज पूरे करते है जो 1200/- रुपये हमारी जेब से मिले है वो हमने आज स्मैक बेचकर ही कमाये है। दोनो ने पूछताछ पर गलती की माफी मांगते हुये बताया कि साहब गलती हो गयी आज से कोई भी गलत काम नही करेगे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभियुक्त का नाम व पताः-

1. फरजान उर्फ नाटा पुत्र इमरान निवासी डी 161 निशारिया मस्जिद के पास नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।
2. मोहित पुत्र मोहनलाल निवासी गुर्जर चौक भौपुरा डिफैन्स कालोनी सत्ते भाई वाली गली थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 79 स्मैक की पुलिया जिनमे कुल 6.32 ग्राम स्मैक व स्मैक बेचकर प्राप्त किये 1200/- रुपये

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना शालीमार गार्डन पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। शेष आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।